



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 18, 2010/माघ 29, 1931

No. 75]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 18, 2010/MAGHA 29, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2010

सा.का.नि. 84(अ).—स्वापक औषधी एवं मनःप्रभावी पदार्थ के अवैध कारोबार निवारण के अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सा.का.नि. 85(अ) के तहत 14 फरवरी, 2007 को जारी अधिसूचना के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार उक्त धारा के उद्देश्य के लिए संयुक्त सचिव, भारत सरकार श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव को एतद्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदान करती है।

[फा. सं. यू. 11022/8/2010-पीआईटीएनडीपीएस]

के. एम. ब्राह्मे, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2010

G.S.R. 84(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notification dated 14th February, 2007 issued vide G.S.R. 85(E), the Central Government hereby specially empowers Shri Anoop Kumar Srivastava, Joint Secretary to the Government of India, for the purpose of the said Section.

[F. No. U. 11022/8/2010-PITNDPS]

K. M. BRAHME, Dy. Secy.